e समाचार पत्र

राष्ट्र महिला

राष्ट्रीय महिला आयोग

खण्ड 1, संख्या 235, जुलाई, 2019

लाल बहादुरी शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के सहयोग से राज्य महिला आयोगों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण

राष्ट्रीय महिला आयोग ने विधि क्षेत्र के सहयोगियों के साथ जैसे पुलिस और राष्ट्रीय लिंग केंद्र, एलबीएसएनएए के सहयोग से अन्य संगठनों के साथ काम करने से संबंधित लिंग क्षमता का निर्माण करने के लिए राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिए विचार–विमर्श और बातचीत करने का था।

दूसरे बैच का प्रशिक्षण तारीख 29 से 31 जुलाई, 2019 तक आयोजित किया गया था जबकि पहले बैच का प्रशिक्षण तारीख 19 से 21 जून, 2019 तक आयोजित किया गया था। यह प्रशिक्षण एलबीएसएनएए, मसूरी के शिविर में आयोजित किया गया था। 13 राज्यों के राज्य महिला आयोगों से 41 व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। इस प्रशिक्षण में भाग लेने वालों ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों के कई पहलुओं पर विचार–विमर्श किया गया था जिनका संबंध सामाजिक प्रकृति के या सहयोगियों जैसे मीडिया, महिलाओं से संबंधित विधियां और उनकी राह में आने वाली बाधाओं की चुनौतियों का सामना करने से था।

- लिंग, पितृसत्तात्मक, पुरूष और पुरूषत्व
- महिलाओं से संबंधित विधियां
- महिलाओं और लड़कियों के लिए आयोगः चुनौतियों और संमिलन के लिए संभावनाएं
- उत्तरजीवियों के संबंध में कार्यवाही करते समय अमौखिक बातचीत का महत्व
- लिंग से संबंधित मुद्दों की बाबत सहयोगियों का परिपेक्ष्य
- पुलिस और राज्य महिला आयोग का इंटरफेस– अवसर, चुनौतियां और संमिलन

एसिड हमले की उत्तरजीवी, जो अब सामाजिक कार्यकर्ता है, सुश्री लक्ष्मी अग्रवाल ने इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों को संबोधित किया और उत्तरजीवियों, उनके परिवार के सदस्यों को समझाने में राज्य महिला आयोगों की भूमिका को उजागर किया तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट आदि दर्ज कराने के लिए जो कदम उठाएं जाने चाहिए उनकी प्रक्रिया के बारे में सहायता आदि के संबंध में मार्गदर्शन किया। उन्होंने व्यक्तिगत उदाहरण देते हुए यह बताया कि उत्तरजीवियों के बीच जागरूकता की कमी होती है और यह एक ऐसी सामान्य चुनौती है जिसका प्रतिकूल रूप से उन पर प्रभाव पड़ता है। सुश्री लक्ष्मी अग्रवाल ने व्यापक रूप से यह बताया कि समय के अनुसार किस प्रकार ऐसी विधि विकसित की गई है जिससे पीडितों को प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराने में सहायता प्रदान की जाती है, जली हुई क्षतियों आदि के आधार पर नियम आदि बनाए गए हैं।

सफल महिलाएं

वनीथा मुथैय्या चंद्रयान–2 को चंद्रमा पर भेजने के मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। मुथैय्या ने एक परियोजना प्रबंधक के रूप में चंद्रयान भेजने में मुख्य भूमिका निभाई।

एथलीट हिमा दास ने इस मास 4 सोने के मेडल जीते। उन्होंने तारीख 2 जुलाई, 2019 को पोलैंड में पाजनान एथलेटिक ग्रेंड प्रिक्स, तारीख 7 जुलाई, 2019 को पोलैंड में कुतनो एथलेटिक्स मीट, तारीख 14 जुलाई, 2019 को कलाडनो मैमोरियल एथलेटिक्स मीट में महिलाओं का 200 मीटर की दौड़, तारीख 20 जुलाई, 2019 को चैक रिपलिब में 400 मीटर की दौड़ जीती।

प्रतीक्षा दास, 24 वर्षीय मकैनिकल इंजीनियर 4 पहियों के भारी यान का प्रशिक्षण लेने वाली पहली महिला ड्राइवर बनी। उन्होंने बस चलाने के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम बरिहनमुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बीईएसटी) से इसे पूरा किया है।

अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक की पहली महिला सीएफओ बनी। तारीख 13 जुलाई, 2019 को उनकी नियुक्ति घोषित की गई थी।

नारी अदालत के संबंध में विचार–विमर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ज्येष्ठ अधिकारियों, 9 राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों/प्रतिनिधियों तथा क्रमशः राज्य महिला आयोगों से तारीख 31 जुलाई, 2019 को प्रस्तावित नारी अदालत मॉडल पर, प्रारंभिक परामर्श आयोजित किया। इस बैठक की अध्यक्षता श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, रा.म.आ. ने की। गुजरात में नारी अदालतें वैवाहिक/कुटुंब विवादों को हल करने के लिए बहुत सफल रही है, यह परामर्श गुजरात में गठित की गई नारी अदालतों की रूपरेखा के अनुसार अखिल भारतीय मॉडल को विरचित करने के लिए विचार–विमर्श करने के लिए आयोजित किया गया था।

विचार–विमर्श के दौरान निम्नलिखित सिफारिशों पर सहमति बनी थी।

- नारी अदालतें न केवल न्याय प्रदान करने के लिए गठित की जाए अपितु विधिक साक्षरता को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में की महिलाओं के लिए, अग्रसर और प्रसार करने के लिए भी किया जाए।
- प्रस्तावित प्रशासनिक ढांचे के अनुसार कई योजनाओं के सम्मेलन की आवश्यकता के लिए जिला समिति की मौजूदगी आवश्यक है।
- नारी अदालतों का गठन सामाजिक रूप से समावेशी होना चाहिए और जिस क्षेत्र में वह कार्य करते हैं उसे दर्शित किया जाना चाहिए।
- यह सुझाव दिया गया कि इस परियोजना को चरणबद्ध रीति से आरंभ किया जाए और पहले वर्ष में 25 जिलों, जिसमें पूर्वोत्तर और संघ राज्यक्षेत्र नहीं है, आरंभ किया जाए।

पुलिस कर्मचारियों के लिए लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम

राष्ट्रीय महिला आयोग पूरे देश में पुलिस कर्मचारियों/न्यायिक अधिकारियों के लिए लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम इस उद्देश्य से आयोजित करता है कि जिससे उन्हें लिंग मुद्दों के संबंध में संवेदीग्राही बनाया जा सकें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लिंग आधारित अपराधों की पीडितों और साधारण रूप से महिलाओं के साथ बर्ताव करते समय सहानुभूति के साथ और प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए बिना कार्य करने के लिए पुलिस कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है।

आयोग ने तारीख 7 जुलाई, 2019 को राज्य पुलिस अकादमी के सहयोग से इंदौर, मध्य प्रदेश में एक दिन की लिंग संवेदनशीलता कार्यशाला आयोजित की। कर्नाटक राज्य पुलिस अकादमी के सहयोग से तारीख 17 जुलाई से लेकर 19 जुलाई, 2019 तक मैसुरू, कर्नाटक में महिला पुलिस अधिकारियों के लिए लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह प्रत्याशा की जाती है कि ये अधिकारी इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के पश्चात् लिंग आधारित अपराधों और सामान्य रूप से महिलाओं, पीडितों/शिकायतकर्ताओं के साथ सहानुभूति के साथ कार्य करेंगे और बेहतर रीति में उनकी सहायता करेंगे।

राष्ट्रीय महिला आयोग में वन महोत्सव समारोह

राष्ट्रीय महिला आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने तारीख 13 जुलाई, 2019 को कार्यालय में वन महोत्सव मनाया। विभिन्न प्रतियोगिताएं, जैसे कि आदर्श वाक्य, पोस्टर बनाना आदि, आयोजित की गई। वन महोत्सव के महत्व के बारे में आयोग की माननीय अध्यक्ष और सदस्यों ने इसके संबंध में जानकारी दी और इस अवसर पर आयोग में आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा की।

स्व प्रेरणा प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त की गई शिकायतें और जुलाई, 2019 में शिकायतों का समाधान

क्र. सं.	मास	प्राप्त शिकायतों की संख्या	प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्टों/प्रत्युत्तरों की संख्या	बंद किए गए मामलों की संख्या	गठित जांच समितियां/तथ्य पता लगाने वाले दल
1.	जुलाई, 2019	35	34	11	03

तारीख 28 जुलाई, 2019 को दि ट्रिब्यून में प्रकाशित ''बलात्संग की पीडिता'' ने 'राजस्थान पुलिस थाने' में आत्महत्या का प्रयास करने के शीर्षक से छपी मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसमें यह प्रतिवेदित किया गया था कि बलात्संग की पीडिता ने अभिकथित रूप से अभियुक्त, जो कि उसके पति का चचेरा भाई है, को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए जयपुर में एक पुलिस थाने में आत्महत्या करने का प्रयास किया। आयोग ने इस मामले की जांच करने के लिए दो सदस्यीय तथ्य का पता लगाने वाले दल का गठन किया। तथ्य पता लगाने वाले दल ने इस मामले की जांच पड़ताल की, दल उस पुलिस थाने में गया जहां पीडिता ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था और घटना के बारे में जांच पड़ताल की। इसके उत्तर में दल को डीजीपी राजस्थान और आयुक्त जयपुर से दौरे के दौरान इस मामले में ब्यौरेवार की गई कार्रवाई रिपोर्ट मिली थी।

जयपुर, कानपुर, पटना, पूर्वी दिल्ली और बैंगलुरू में जनसुनवाई

इस मास के दौरान पांच महिला जनसुनवाई आयोजित की गई थी, पहली जनसुनवाई की अध्यक्षता श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, रा.म.आ. ने की थी। नीचे दी गई सारणी में अन्य शहरों में आयोजित जनसुनवाईयों के ब्यौरें दिए गए हैं:

क्र. सं.	तारीख	शहर	सदस्य
1.	5 जुलाई, 2019	जयपुर	श्रीमती रेखा शर्मा और डा. राजुलबेन एल देसाई
2.	12 जुलाई, 2019	कानपुर	श्रीमती कमलेश गौतम
3.	19 जुलाई, 2019	पटना	श्रीमती चंद्रमुखी देवी
4.	25 जुलाई, 2019	पूर्वी दिल्ली	श्रीमती सोसो साइजा
5.	26 जुलाई, 2019	बेंगलुरू	श्रीमती श्यामला एस. कुंदर

कार्यक्रमों में भाग लिया गया

श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष

- श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष रा.म.आ. ने तारीख 3 जुलाई 2019 और 22 जुलाई, 2019 को आयोग के परिसर में ''लिंग संवेदनशीलता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम'' विषय पर विशेषज्ञ समिति की पारस्परिक संवाद बैठक में अध्यक्षता की।
- तारीख 20 जुलाई, 2019 को ब्रह्म कुमारी महिला सेवा खंड द्वारा आयोजित ज्ञान सरोवर माउंट आबू में ''महिला प्रसन्न–परिवार प्रसन्न'' पर सम्मेलन सह ध्यान आश्रयस्थल में भाग लिया।
- तारीख 23 जुलाई, 2019 को जीएलएस लॉ कॉलेज अहमदाबाद में ''जेंडर इक्वालिटीः दि स्केल नेवर गेट्स इवन'' के लिंग संवेदनशीलता के सेमिनार में भाग लिया।

सुश्री मीनाक्षी गुप्ता, सदस्य सचिव

- तारीख 20 जुलाई, 2019 को ब्रह्म कुमारी महिला सेवा खंड द्वारा आयोजित ज्ञान सरोवर माउंट आबू में ''महिला प्रसन्न–परिवार प्रसन्न'' पर सम्मेलन सह ध्यान आश्रयस्थल में भाग लिया।

सोसो साइजा, सदस्य

- तारीख 11 और 12 जुलाई, 2019 को एक विशेष अतिथि के रूप में कोलकाता में 'एडूमीट 2019 एंड एक्सिलेंस अवॉर्ड' में भाग लिया।
- तारीख 21 से 24 जुलाई, 2019 तक मुख्य अतिथि के रूप में खुनउलविंग, त्रिपुरा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।

डा. राजुलबेन एल. देसाई, सदस्य

- तारीख 6 जुलाई, 2019 को आरडीबीपी में वन स्टॉप सेंटर का दौरा किया।

सुश्री श्यामला एस कुंदर, सदस्य

- तारीख 6 जुलाई, 2019 को बैंगलोर का दौरा किया और महिला एवं बाल कल्याण विभाग, कर्नाटक, समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ बैठक की।
- तारीख 27 जुलाई, 2019 को बैंगलोर में महिलाओं से संबंधित साइबर अपराध पर एक कार्यशाला में भाग लिया।

जुलाई, 2019 में अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त शिकायतें और समाधान की गई शिकायतें

मास	प्राप्त शिकायतें	बंद शिकायतें (पुरानी + नई)
जुलाई, 2019	58	09

जुलाई, 2019 में शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतें और समाधान की गई शिकायतें

मास	प्राप्त शिकायतें	बंद शिकायतें (पुरानी + नई)
जुलाई, 2019	1818	1387

कारागार और स्वाधार गृह का निरीक्षण

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1)(ट) के अनुसार जुलाई, 2019 में पूरे देश में 4 कारागारों और 2 स्वाधार गृहों का निरीक्षण राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पहले तैयार किए गए निरीक्षण फॉर्मेट का उपयोग करके किया गया। आयोग, नियमित रूप से जेलों, रिमांड हॉम, महिलाओं के संस्थानों या ऐसे अन्य स्थान जहां पर महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करता है और उपचारात्मक कार्रवाई, यदि आवश्यक पाई जाए तो संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाता है।

क्र. सं.	तारीख	मनोरोग गृह का नाम	शहर	सदस्य
1.	6 जुलाई, 2019	स्वाधार गृह, शक्ति स्तंभ	जयपुर	डा. राजुलबेन एल देसाई
2.	11 जुलाई, 2019	जिला जेल	कानपुर	श्रीमती कमलेश गौतम
3.		राजकीय महिला शरणालय	कानपुर	श्रीमती कमलेश गौतम
4.	18 जुलाई, 2019	मॉडल केंद्रीय जेल (महिला वार्ड)	पटना	श्रीमती चंद्रमुखी देवी
5.	19 जुलाई, 2019	केंद्रीय जेल	मैसूर	श्रीमती श्यामला एस. कुंदर
6.	27 जुलाई, 2019	केंद्रीय कारागार	बैंगलोर	श्रीमती श्यामला एस. कुंदर

राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं. 21, **जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया,** नई दिल्ली– 110025 द्वारा प्रकाशित।
डायलः 011-26942369, 26944740, 26944754, 26944805, 26944809
डॉलफिन प्रिंटा–ग्राफिक्स, 1ई/18, चौथा तल, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 #011-23593541-42.